राष्ट्रीय बीज परियोजना
स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय,
बीकानेर (राजस्थान)
Email-nspbikaner@gmail.com

संदर्भ : एफ No. ()/NSP/SKRAU/NIT/2025-26/ 386

दिनांकः 02.04.2025

हिस्सा आधारित खेती हेतु खुली निविदा

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय बीज परियोजना, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के बीज उत्पादन फार्म 5 जे एम डी, विश्वविद्यालय केंद्रीय फार्म, खारा को वर्ष 2025-26 (खरीफ 2025 व रबी 2025-26) के लिए काश्त बाबत् हिस्सा आधारित खेती पर देने हेतु सीलबंध/मोहरबंध निविदाए आमंत्रित की जाती हैं।

विश्वविद्यालय केंद्रीय फार्म, खारा के फार्म 5 जे एम डी पर राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार कमांड और अनकमांड भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र .सं .	चक संख्या	कुल भूमी (हैक्टर)	कमांड (हैक्टर)	अनकमांड (हैक्टर)
1	जे एम डी 5	166.76	157.37	9.39

अतः वर्ष 2025-26 के लिये इस फार्म पर खरीफ एवं रबी फसलो के बीज उत्पादन एवं फसलोत्पादन की हिस्सा आधारित खेती हेतु निविदा आमन्त्रित की जाती है। निविदा कार्यालय दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 तक 500 रू० नगद / डिमाण्ड ड्राफट जो कि अतिरिक्त निदेशक (बीज) के पक्ष में देय हो के प्रस्तुत करनें पर निविदा फार्म प्राप्त किया जा सकता है। निविदा फार्म दिनांक 08/04/2025 को दोपहर 1 बजे तक राष्ट्रीय बीज परियोजना, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (राजस्थान) से प्राप्त कर जमा कर सकते है। निविदा उक्त दिवस (दिनांक 08/04/2025) को दोपहर 2 बजे खोली जावेगी। निविदा से सम्बन्धित अन्य जानकारी एवं विवरण वेबसाइट www.raubikaner.org पर देखा जा सकता है या कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। निविदादाता की किसी भी प्रकार की शर्त मान्य नहीं होगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

2/4/25

अतिरिक्त निदेशक (बीज)
A.D.R. (Seed), NSP
SKRAU, Bikaner

राष्ट्रीय बीज परियोजना
स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय,
बीकानेर (राजस्थान)

5 जे एम डी, विश्वविद्यालय केंद्रीय फार्म, खारा, बीकानेर मे वर्ष 2025-26 में हिस्सा खेती हेतु आमंत्रित की गई खुली निविदा की शर्ते:-

1. ट्रैक्टर एवं ट्रैक्टर सम्बन्धी कार्य तथा डिस्क प्लाउ, हेरो, कल्टीवेटर द्वारा भूमि तैयारी कार्य, सीड ड्रील द्वारा व बुवाई फर्टिलाईजर ड्रिलिंग, थ्रेसर की व्यवस्था निविदादाता/ठेकेदार द्वारा ही की जावेगी अर्थात इनसे सम्बन्धी डीजल खर्च, वाहन चालक व्यवस्था में केन्द्र का कोई योगदान नहीं रहेगा। ट्रैक्टर सम्बन्धी कार्य जैसे बुवाई फर्टिलाईजर ड्रिलिंग, थ्रेसर इत्यादी कार्य केन्द्र के कार्यक्रम समन्वयक या प्रभारी अधिकारी या उनके प्रतिनिधि की देखरेख में किया जावेगा।
2. उपरोक्त कार्य हेतु जारी निविदा की राशि 5 जे एम डी विश्वविद्यालय केंद्रीय फार्म, खारा, बीकानेर के लिए 200000/- रुपये सुरक्षित धनराशि धरोहर के रूप में डिमांड ड्राफ्ट (डी.डी.) या RTGS/ NEFT ASSOC. DIR. RES. (GP) REV. FUND के नाम बनाकर अतिरिक्त निदेशक अनुसंधान (बीज), राष्ट्रीय बीज परियोजना, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के कार्यालय मे निविदा फार्म के साथ जमा करानी होगी। बिना धरोहर राशि के अभाव में निविदा फार्म स्वीकार नहीं किये जायेंगे। इसके साथ ही यदि निविदा दाता/ठेकेदार बीच में किसी कारण से ठेका छोड देता है तो उसकी जमा धरोहर राशि कार्यालय द्वारा जब्त कर ली जायेगी।
3. बुवाई के लिये फसल का चयन केन्द्र द्वारा किया जायेगा। बुवाई के दौरान लगने वाले बीज की आपूर्ति केन्द्र द्वारा वैज्ञानिक अनुशंसा के अनुसार ही की जावेगी व निविदादाता की कोई शर्तें मान्य नहीं होगी। जबकि बीज के अतिरिक्त लगने वाले अन्य आदानों जैसे खाद व उर्वरक, फंफूदनाशक, कीटनाशक, कल्चर, श्रमिक अवयव व उपकरण इत्यादि की आपूर्ति निविदादाता/ठेकेदार को स्वयं ही करनी होगी।
4. किसी भी प्रकार की बिजली मीटर में छेड़छाड़ की अथवा अन्य विसंगति इत्यादि की दशा में पूर्ण जिम्मेदारी निविदा दाता / ठेकेदार की होगी एवं क्षतिपूर्ति की भरपाई निविदा दाता / ठेकेदार द्वारा की जाएगी।
5. बुवाई से लेकर फसल थ्रेसिंग करवाने संबंधी मजदूरी तथा उसके बाद उत्पाद की साफ सफाई करके बोरियां भरकर, तौलकर प्रोसेसिंग प्लांट के गोदाम में रखने तक की प्रक्रिया में लगने वाले श्रमिक अवयव निविदादाता/ठेकेदार को ही वहन करने होगें।
6. विभिन्न प्रकार की शस्य कियाऐं कार्यक्रम समन्वयक प्रभारी अधिकारी / फार्म मैनेजर / फार्म इन्चार्ज / के निर्देशानुसार करनी होगी तथा श्रमिक खर्चा ठेकेदार को वहन करना होगा। प्रभारी अधिकारी, फार्म ईंचार्ज, फार्म मैनेजर द्वारा बताया गया कार्य निश्चित समय में करना होगा अन्यथा जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई निविदादाता/ठेकेदार से की जाएगी।
7. केंद्र द्वारा निर्धारित बीज उत्पादन निविदादाता/ठेकेदार को अवश्य करना होगा तथा निर्धारित कमेटी द्वारा सिफारिश करनें के बाद ही गुणवतायुक्त रॉ बीज (unprocessed seed) विश्व विद्यालय के प्रोसेसिंग प्लांट पर ही लिया जायेगा तथा भाड़ा एवं अन्य मजदूरी का भुगतान निविदादाता/ठेकेदार द्वारा किया जाएगा। रॉ बीज के बदले स्थानीय कृषि उपज मण्डी के उस सप्ताह जिस सप्ताह (7 दिन) में बीज कार्यालय में प्राप्त हुआ है, के औसत भाव का औसत या सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य जो भी ज्यादा हो का भुगतान किया जायेगा। विश्वविद्यालय केन्द्रिय फार्म खारा, बीकानेर के बीजों पर बीकानेर मंडी की दरें लागू होगी।
8. बीज उत्पादन के अतिरिक्त शेष भूमि पर व्यावसायिक फसलोत्पादन का कार्यक्रम भी केंद्र की अनुशंसा से निविदादाता/ठेकेदार को करना होगा जिसके लिए उच्च गुणवत्ता युक्त बीज केंद्र द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। व्यावसायिक फसलोत्पादन का निविदादाता/ठेकेदार अपना हिस्सा कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र होगा और उसमे केंद्र की कोई भागीदारी नहीं रहेगी जबकि केंद्र का हिस्सा कार्यालय पर जमा करवाना होगा।
9. फसल कटाई के मामलों में कटी हुई फसलों को कहां ईकट्ठा करना हैं व कितने ढेर बनाने हैं इसके लिए फार्म मेनेजर, फार्म इन्चार्ज अथवा प्रभारी अधिकारी से सम्पर्क करना होगा।
10. निराई, गुडाई, सिंचाई, कटाई, थ्रेसिंग तथा अन्य सम्बन्धित कार्य मौसम की स्थिति को देखते हुए करने होगें। प्रतिकूल मौसम होने पर उक्त कार्य रोके जाने का अधिकार फार्म मेनेजर, फार्म इन्चार्ज अथवा प्रभारी अधिकारी को होगा।
11. फसल में रोगिंग/अपवांछन कार्य फार्म मेनेजर, फार्म इन्चार्ज, प्रभारी अधिकारी या उनके प्रतिनिधि की देखरेख

A.D.R. (Seed), NSP
SKRAU, Bikaner

में निविदादाता/ठेकेदार को ही करना होगा।

12. पम्प व ट्यूब वैल मोटर ऑपरेशन निविदादाता/ठेकेदार को ही करना होगा तथा निविदादाता को नहर से पानी की बारी आने से पहले खाले की साफ-सफाई करनी होगी एवं डिग्गी में पानी भरने की जिम्मेवारी निविदादाता/ठेकेदार की होगी।
13. फसलों की रखवाली करने की पूर्ण जिम्मेवारी निविदादाता/ठेकेदार की होगी इसमें शिथिलता बरतने या नुकसान होने पर समिति द्वारा आकंलन करवाया जायेगा जो नुकसान होगा उसकी भरपाई निविदादाता से की जाएगी ।
14. फसल के दौरान स्वयं के पशु वगैरह फार्म पर नहीं लाये जायेगें तथा ना हीं यहां से हरा चारा वगैरह ले जाने दिया जायेगा।
15. निविदादाता/ठेकेदार को केन्द्र के मुख्य द्वार से ही आना-जाना करना होगा। किसी भी अवांछित आदमी को फार्म में आने की ईजाजत नहीं होगी।
16. अनुबंद खत्म होने पर कार्यालय से "नो डयूज" लेना होगा।
17. सभी प्रकार के टैक्स वहन की जिम्मेदारी निविदादाता/ठेकेदार की होगी।
18. विभिन्न कार्यों के दौरान किसी भी प्रकार की जन-धन हानि एवं दुर्घटना की वैद्यानिक व सम्पूर्ण जिम्मेवारी निविदादाता/ठेकेदार की होगी। संस्था का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा ।
19. सिंचाई खालों व पाटले की साफ-सफाई का कार्य निविदादाता/ठेकेदार को करना होगा तथा माह में कम से कम एक बार सफाई करनी होगी, जिसका खर्च निविदादाता/ठेकेदार को वहन करना होगा।
20. रोपित बीजोत्पादन कार्यक्रम को समय पर न करने व पशुओं द्वारा फसल को सम्पूर्ण व आंक्षिक क्षति पहुंचाने की स्थिति में व चोरी आदि की वारदात की परिस्थितियों में काश्त में व्यय राशि जुताई, बीजाई, रासायन, दवाओं, बीज व संस्था द्वारा अन्य निर्धारित खर्च आदि खर्चा को ठेकेदार के अंतिम भुगतान व धरोहर राशि से संस्था हित में भरपाई की जायेगी ।
21. केन्द्र के फार्म पर सभी कृषि कार्य संबंधित निविदादाता को स्वंय द्वारा ही किया जाना आवश्यक है। निविदादाता उक्त फार्म को अन्य किसी भी व्यक्ति/फर्म को सबलैट नहीं कर सकेगा, ऐसा कुछ करने पर उक्त निविदा को तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दी जाएगी।
22. यदि संबंधित निविदादाता/ठेकेदार द्वारा फार्म पर मजदूरों द्वारा कृषि कार्य करवाता है तो भी निविदादाता/ठेकेदार का फार्म पर उपस्थित होना अतिआवश्यक होगा तथा साथ ही मजदूरों से कार्य शुरू करवाने से पूर्व उनके द्वारा करवाये जाने वाले कार्य के बारे में फार्म इचार्ज / प्रभारी अधिकारी को सूचित करना होगा। फार्म पर निविदादाता/ठेकेदार के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति का फार्म में रहेना/प्रवेश वर्जित रहेगा। अतिआवश्यक कार्य होने पर यदि किसी व्यक्ति को केन्द्र के फार्म पर रोकने से पूर्व फार्म इचार्ज या अधोहस्ताक्षरकर्ता से स्वीकृति लेना अतिआवश्यक होगा।
23. फार्म पर स्थित पेड़ तथा तारबन्दी, मोटर, तार, पाइप, तार व खम्भे एवं अन्य सामान की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। खोने अथवा चोरी हो जाने पर ठेकेदार को उसकी पूर्ति करनी होगी।
24. निविदादाता को सभी फसलों की कटाई होने तक पूर्ण रूप से खरपतवार रहित रखना होगा चाहे इस हेतु बार-बार निराई गुड़ाई करनी पड़े, अन्यथा फसल नुकसान, औसत उत्पादन में 10 प्रतिशत की कमी मानकर उत्पादन में कमी की भरपाई ठेकेदार को दिये जाने वाले भुगतान की राशि में से (प्रत्येक फसलों अनुसार) काट लिया जायेगा या धरोहर राशि से भरपाई की जायेगी।
25. खरीफ की फसल का उत्पादन 31 दिसम्बर से पहले तथा रबी की फसल का उत्पादन 31 मई से पहले केन्द्र के गोदामों में जमा करना होगा ।
26. फसल को जंगली जानवर व अन्य किसी हानि से बचाने व रखवाली (दिन रात्री) हेतु सुरक्षा का कार्य निविदादाता को करना होगा।
27. फसलोत्पादन के दौरान किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा (शीतलहर, ओलावृष्टी) / आगजनी आदि की स्थिति में हुई क्षति होने पर उक्त केन्द्र द्वारा ठेकेदार को किसी भी प्रकार का मुआवजा या क्षतिपूर्ति या फसल बिमा योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा और न ही ठेकेदार किसी भी प्रकार के मुआवजा या क्षतिपूर्ति की मांग करेगा
28. सभी कार्य कार्यालय समय के अनुसार करने होगें। फार्म पर लगे पेड व झाड़ियों की कटाई-छंगाई पर पूर्ण अधिकार फार्म का होगा। निविदादाता/ठेकेदार या उसके श्रमिक द्वारा अपने स्तर पर फार्म पर कोई गैर कानूनी गतिविधि संचालित करता है तो समस्त जिम्मेवारी निविदादाता की होगी।

A.D.R. (Seed), NSP
SKRAU, Bikaner

29. निविदादाता द्वारा हिस्सा खेती की भरी गई दर न्यूनतम / उच्चतम को मानने के लिए कमेटी बाध्य नहीं होगी, कमेटी का निर्णय ही सर्वमान्य होगा।
30. निविदा दाता/ठेकेदार को निविदा फॉर्म के साथ पैन कार्ड व आधार कार्ड की फोटो प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
31. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत/स्थगित/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार बिना कारण बताये अतिरिक्त निदेशक (बीज), राष्ट्रीय बीज परियोजना के पास सुरक्षित रहेगा तथा किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रभारी अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा जो कि निविदा दाता को मानना बाध्य होगा।
32. निविदादाता को नॉनज्यूडिसियल स्टाम्प रू. 500/- पर शपथ पत्र टाइप करवाकर तथा नोटेरी से प्रमाणित करवाकर कार्यालय मे निविदा स्वीकृत होने के दो दिनो के अन्दर कार्यालय समय में जमा करवाना होगा जिसमें उपरोक्त शर्ते स्वीकार करते हुये कार्य करने की सहमति प्रदान की जाए एवं इसके अभाव में जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी तथा सफल निविदादाता को कार्य करने के आदेश नहीं दिया जाएगा जिसकी पूर्ण जवाबदारी निविदादाता की होगी।

1/4/23

अतिरिक्त निदेशक (बीज)
A.D.R. (Seed), NSP
SKRAU, Bikaner

मैं/हम घोषणा करता हूँ/ करते है कि मैनें/हमने पूर्ण सावधानी पूर्वक उपरोक्त सभी शर्ते अच्छी तरह से पढ़ ली है स्वीकार्य है एवं मैं उपरोक्त शर्तों के अनुसार हिस्सेदारी पर कार्य करने के लिए सहमत हूँ। मेरा कार्य किसी भी स्तर पर संतोष जनक नहीं पाये जाने पर निविदा निरस्त कर मेरी धरोहर राशि केन्द्र जब्त कर सकता है।

निविदादाता/ठेकेदार के हस्ताक्षर,
पता:

राष्ट्रीय बीज परियोजना
स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय,
बीकानेर (राजस्थान)

हिस्सा खेती निविदा फार्म

1. निविदादाता का नाम एवं पूरा पता:-

2. धरोहर राशि का विवरण:-

खरीफ-2025 एवं रबी- 2025-26 में कार्य की दर जो निविदा दाता द्वारा देय है :-		
विवरण, हस्सेदारी द्वारा रखा जाने वाला हिस्सा	हिस्सेदारी (प्रतिशत) 5 जे एम डी, विश्वविद्यालय केंद्रीय फार्म, खारा	हिस्सेदारी (प्रतिशत) निविदादाता/कान्ट्रेक्टर
दाना/बीज उपज	%..............	%..............
चारा	%..............	%..............

निविदादाता को नॉनज्यूडिसियल स्टाम्प रू0 500/- पर शपथ पत्र टाइप करवाकर तथा नोटेरी से प्रमाणित करवाकर कार्यालय मे निविदा स्वीकृत होने के दो दिनो के अन्दर कार्यालय समय में जमा करवाना होगा जिसमें उपरोक्त शर्ते स्वीकार करते हुये कार्य करने की सहमति प्रदान की जाए एवं इसके अभाव में जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी तथा सफल निविदादाता को कार्य करने का आदेश नहीं दिया जाएगा जिसकी पूर्ण जवाबदारी निविदादाता की होगी।

निविदादाता/ठेकेदार के हस्ताक्षर